न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 26 / 2024

अनवान : –

1. नैणा राम पुत्र पदमा राम जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 21/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 342 / 116 की कुल 12.2705 हैक्ट भूमि में से 1 / 9 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम निराणाराम पुत्र पदमाराम दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम नैणा राम पुत्र पदमा राम है जो की प्रार्थी के समस्त दस्तावेजा यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में अंकित है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का पता गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में निराणाराम पुत्र पदमाराम के स्थान पर नैणा राम पुत्र पदमा राम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का मुताबिक दस्तावेज पता दुरूस्त करे देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल पता ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश किया की प्रार्थी का पता झोथड़ तहसील सिरसा के स्थान पर किंकराली [illegible] उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी [illegible] प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम [illegible] णा राम पुत्र पदमा [illegible] जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का निराणाराम पुत्र पदमाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के समस्त दसतवेजो में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी का नाम नैणा राम पुत्र पदमा राम दर्ज है। प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम नैणा राम पुत्र पदमा राम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 342/116 की कुल 12.2705 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थी अपना नाम निराणाराम पुत्र पदमारा के स्थान पर नैणा राम पुत्र पदमा राम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम नैणा राम पुत्र पदमा राम दर्ज है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 342/116 की कुल 12.2705 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम **निराणाराम पुत्र पदमाराम के स्थान पर नैणा राम पुत्र पदमाराम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के के नाम निराणाराम पुत्र पदमाराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी के के नाम निराणाराम पुत्र पदमाराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम निराणाराम पुत्र पदमाराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
क्रमांक : रीडर/सशोधन/2024/1079 दिनांक : 25/10/24

तहसीलदार,
नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 26/2024 अनवानी नैणाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 26/2024
अनवान : –

1. नैणा राम पुत्र पदमा राम जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 342/116 की कुल 12.2705 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम **निराणाराम पुत्र पदमाराम के स्थान पर नैणा राम पुत्र पदमाराम का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के के नाम निराणाराम पुत्र पदमाराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी के के नाम निराणाराम पुत्र पदमाराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम निराणाराम पुत्र पदमाराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested